वेदवल्भव आदि विरूद्ध चन्द्रिका प्रसाद आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 636–दो/12 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.9.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 2430–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 16–7–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–रीवा

रिव्यू. 636 II/13

1– वेदवल्भव पिता चन्द्रिकाप्रसाद,

2– रामसुरेश पिता चन्द्रिकाप्रसाद,

निवासीगण– ग्राम पीताम्बरगढ़, तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– चन्द्रिकाप्रसाद तनय रामविशाल,

2– रामपदारथ तनय चन्द्रिकाप्रसाद

निवासीगण– ग्राम बिरहा कन्हई, तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म.प्र.)

3– आशुतोष तनय तीरथप्रसाद, निवासी– ऊंचेहरा, तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2430-II/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक .12.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, विचारण न्यायालय तहसीलदार हनुमना के न्यायालय में विवादित आराजी नं. 70/5, 105/1, 132/1, 314/1 कुलकिता 04 विरह (कन्हई) एवं इसी प्रकार बिजौली शुक्लान की भूमियां पुल्ली बटवारा के आधार पर आवेदक द्वारा विधिवत् आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर अपने हित में राजस्व प्रकरण क्रमांक 12/अ–27/08–09 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2009 को 1/5 अपने हिस्से के आधार पर बटवारा नामान्तरण कराया गया। जो तहसीलदार द्वारा लोक दस्तावेजों के आधार पर एवं कथन लिये जाकर आदेश पारित किया गया था।

2– यहकि, अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 12/अ–27/08–09 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2009 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी। साथ ही पृथक से विचारण न्यायालय के आदेश